बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम–4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा (तृतीय) एवं स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा (चतुर्थ) का आयोजन किया गया था, जिसका परीक्षा परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकााशित किया जा चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा परिणाम अनुसार स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा (तृतीय एवं चतुर्थ) में सफल शिक्षक अभ्यर्थियों का जिलावार संख्यात्मक विवरण संलग्न है।

2. विभागीय आदेश ज्ञापांक 566 दिनांक 16.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा (तृतीय एवं चतुर्थ) में सफल 12819 (बारह हजार आठ सौ उन्नीस) शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के सभी जिलों में Counselling कराया जाना है। संदर्भित विभागीय आदेश में यह निदेशित है कि Counselling के लिए तिथि एवं टाईम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

3. उक्त के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा (तृतीय एवं चतुर्थ) में सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की Counselling हेतु दिनांक 06.02.2026 से 11.02.2026 तक की अवधि निर्धारित किया जाता है। Counselling पूर्वाह्न 09:00 बजे से प्रारंभ की जायेगी तथा यह निम्नांकित 5 टाईम स्लॉट में सम्पन्न होगी –

(i)	पहला स्लॉट	–	09:00 बजे से 10:30 बजे तक
(ii)	दूसरा स्लॉट	–	10:30 बजे से 12:00 बजे तक
(iii)	तीसरा स्लॉट	–	12:00 बजे से 01:30 बजे तक
(iv)	चौथा स्लॉट	–	01:30 बजे से 03:00 बजे तक
(v)	पाँचवा स्लॉट	–	03:00 बजे से 04:30 बजे तक

Counselling शिक्षक अभ्यर्थियों से संबंधित जिला के DRCC में की जायेगी। विभागीय पत्रांक 630 दिनांक 31.07.2024 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में वैशाली, दरभंगा एवं समस्तीपुर जिला में Counselling कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर किया जायेगा।

4. किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट/तिथि को Counselling में उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जायेगा तथा यह विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी को दी जायेगी।

5. शिक्षक अभ्यर्थी के आधार पर अंकित नाम के टाईटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाईटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाईटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जायेगा।

6. विभागीय आदेश ज्ञापांक 566 दिनांक 16.07.2024 द्वारा Counselling हेतु जारी अन्य महत्वपूर्ण अनुदेश यथावत रहेगा।

अनु0–यथोक्त।

(सज्जन आर0)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0–03/2024 121 पटना, दिनांक 28/01/2026

प्रतिलिपि :
1. सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक, नगर क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

E:\Sec.Edu\Office Order-R.314

स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा (तृतीय एवं चतुर्थ) में सफल शिक्षक अभ्यर्थियों का जिलावार कुल संख्यात्मक विवरणी।

क्र०	जिला का नाम	तृतीय	चतुर्थ	कुल
1	अररिया	226	101	327
2	अरवल	35	13	48
3	औरंगाबाद	134	140	274
4	बांका	66	27	93
5	बेगूसराय	297	151	448
6	भागलपुर	168	77	245
7	भोजपुर	212	122	334
8	बक्सर	145	79	224
9	दरभंगा	241	124	365
10	पू0 चम्पारण	393	208	601
11	गया	371	193	564
12	गोपालगंज	219	175	394
13	जमुई	171	89	260
14	जहानाबाद	100	58	158
15	खगड़िया	156	85	241
16	किशनगंज	134	67	201
17	कैमूर	184	97	281
18	कटिहार	323	146	469
19	लखीसराय	68	30	98
20	मधुबनी	511	301	812
21	मुंगेर	88	40	128
22	मधेपुरा	130	110	240
23	मुजफ्फरपुर	409	220	629
24	नालन्दा	286	294	580
25	नवादा	132	79	211
26	पटना	470	376	846
27	पूर्णियाँ	264	114	378
28	रोहतास	171	103	274
29	सहरसा	185	121	306
30	समस्तीपुर	273	180	453
31	शिवहर	31	12	43
32	शेखपुरा	25	14	39
33	सारण	262	188	450
34	सितामढ़ी	269	188	457
35	सुपौल	151	127	278
36	सिवान	172	164	336
37	वैशाली	269	181	450
38	प0 चम्पारण	149	135	284
	कुल	**7890**	**4929**	**12819**